न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री परशुराम धानका, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 65/17 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2017/00098

उनवान

1. पदम सिंह पुत्र शेर सिंह
2. योगेन्द्र सिंह
3. नौहबत सिंह } पुत्रान कैलाराम
4. निर्मल सिंह
5. दीवान सिंह
6. कलावती पत्नी कैलाराम
7. मूलाराम } पुत्रान हरज्ञान सिंह
8. मोतीराम

} जाति जाट निवासी चितोकरी तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भरतपुर।
2. ओमप्रकाश पुत्र भगवत जाति जाट निवासी ग्राम चितोकरी तहसील व जिला भरतपुर।

..... रेस्पोंडेंट ।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर दिनांक 27.02.17 प्र.संख्या 48/16 उनवानी पदम सिंह बनाम सरकार।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री प्रमोद कुमर उपमन उपस्थित।
2. राजकीय अभिभाषक अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक–20.06.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.17 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का

पेश किया कि गत आराजी खसरा नम्बर 119/6–16, 120/3–00 किता 2 रकवा 9 बीघा 16 विस्वा वाके ग्राम चितोकरी तहसील व जिला भरतपुर में स्थित है। जिनसे बन्दोबस्त विभाग ने हाल खसरा नम्बर 355/0.22, 385/0.43 तथा प्रतिवादी/रैस्पो0 का नया नम्बर 354/0.86 है0 बनाया है। वादीगण का रकवा गत के अनुसार 0.78 है0 आना चाहिये था। परन्तु बन्दोबस्त विभाग ने 0.13 है0 रकवा कम दर्ज किया है। मौके पर वादीगण पूरे 0.78 है0 पर काबिज हैं। प्रतिवादी का रकवा 0.78 आना चाहिये था। परन्तु उनका रकवा 0.86 दर्ज किया गया है जों साविक से 0.08 है0 अधिक दर्ज किया गया है। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बार बार आवाज दिलवाये जाने पर भी राजकीय अभिभाषक उपस्थित नहीं आये। अतः बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पर कोई गौर नहीं किया। जबकि वादीगण अपीलाण्ट ने संवत 2010 से ताहाल तक का राजस्व रिकार्ड विवादित आराजी के संबंध में प्रस्तुत किया है। साबिक जमाबन्दी व मिलान क्षेत्रफल एवं हाल जमाबन्दी के आधार पर कमी वेशी स्पष्ट रूप से सामने आती है। वादीगण संवत 2012 से पूर्व गैर मौरूसी गैर खातेदारी का रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दस्तावेज का अवलोकन ही नहीं किया एवं तथ्य व दावे से बाहर जाकर मनमाने तौर पर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अपीलाण्ट ने अपने दावे में सभी अपीलाण्ट व रैस्पो0 संख्या 02 के सभी खसरा नम्बर के कुल रकवा की कमी वेशी को नहीं वताकर केवल दो खसरा नम्बरो पर दावा प्रस्तुत किया है। गत खाता संख्या 119 के अन्य खसरा नम्बरान से नये खसरा नम्बर कौन–कौन से कितने रकवे के बन्दोबस्त विभाग द्वारा वनाये गये स्पष्ट नहीं किया है एवं ना ही गत खसरा नम्बर 625 मिन बाबत् अपने गैर खातेदारी के स्त्रोत को ही स्पष्ट किया है। इसके अलावा 354/0.86 है0 की ना तो जमाबन्दी प्रस्तुत की है एवं ना उनके खातेदारो का प्रकरण मे पक्षकार मुकदमा बनाया है। इस प्रकार वादीगण/अपीलाण्ट ने दावा स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजो की विस्तार से विवेचना की जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। लिहाजा वादीगण/अपीलाण्ट अपने दावे को सिद्ध करने में पूर्णतयाः असफल रहे हैं। अतः हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

राजकीय अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2017 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक [redacted] न्यायालय में सुनाया

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज0)

[redacted] म धानका)
आर.ए.एस.
राज [redacted] पील प्राधिकारी
[redacted] रतपुर